

समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण

(वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार)

एम पी ई डी ए भवन, पनंपिल्ली एवन्यू
डाक पेटी सं. 4272, कोच्ची - 682 036, भारत

The Marine Products Export Development Authority

(Ministry of Commerce & Industry, Govt. Of India)

MPEDA House, Panampilly Avenue,
P.B. No. 4272, Kochi-682 036. India



फोन } 2311979, 2311901
2311854, 2311803
Phone } 2313415, 2314468
2315065

फाक्स } 91-484-2313361
Fax }

E-mail : ho@mpeda.gov.in
Website : www.mpeda.gov.in

संदर्भ/Ref:

REG/GC/OR/1/2020

तारीख/Date: 20.11.2020

परिपत्र

विषय: एमपीईडीए के साथ संस्थाओं के पंजीकरण/ नवीकरण के लिए निरीक्षण - संबंधी

यह नोट किया गया है कि जब एमपीईडीए के अधिकारी अकेले ही समुद्री खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों के नवीकरण के लिए निरीक्षण करते हैं, तो वे टिप्पणियों और निष्कर्षों को रिकॉर्ड करने के लिए एपीई मुआयने के लिए निर्धारित निरीक्षण रिपोर्ट प्रारूप का अनुपालन नहीं कर रहे हैं। अध्यक्ष ने प्रसंस्करण संस्थाओं के पंजीकरण को नवीनीकृत करने के लिए निरीक्षणों की प्रभावशीलता के बारे में चिंता व्यक्त की है और निर्देश दिया है कि निरीक्षण इकाई के पंजीकरण के नवीकरण की सिफारिश करते समय निरीक्षण अधिकारियों द्वारा एपीई मुआयना प्रारूप की रिपोर्ट की तर्ज पर एक विस्तृत प्रारूप भरा जाएगा और निम्नलिखित निर्देशों का कड़ाई से पालन किया गया हो

- (1) इकाई का निरीक्षण एक अधीनस्थ अधिकारी द्वारा किए जाने की स्थिति में, 10% इकाइयों की "समर्थकारी या पर्यवेक्षी लेखा परीक्षा" को प्रभारी या अगले वरिष्ठ अधिकारी; इसमें से जो भी हो, द्वारा किया जाएगा। वरिष्ठ अधिकारी इकाई की 'सक्षम या पर्यवेक्षी लेखा परीक्षा' करते हुए एक अप्रत्याशित तत्व बनाए रखेगा।
- (2) "समर्थकारी या पर्यवेक्षी लेखा परीक्षा" सहित निरीक्षण के दौरान एमपीईडीए अधिकारियों द्वारा देखे गए दोनों प्रमुख और साथ ही साथ छोटी गैर- अनुरूपताओं को, एक समय सीमा निर्धारित करते हुए गैर- अनुरूपताओं को सुधारने के लिए लिखित रूप में इकाई को अवगत कराया जाएगा। इकाई द्वारा सूचित गैर अनुरूपताओं के सुधार के अनुपालन के अधीन पंजीकरण/ नवीनीकरण/पृष्ठांकन किया जाएगा।
- (3) निरीक्षण रिपोर्ट, एनसी से संबंधित पत्राचार और इकाई की अनुपालन रिपोर्ट को ई- एमपीडा पोर्टल पर अपलोड किया जाएगा।

एपीई रिपोर्ट की तर्ज पर निरीक्षण रिपोर्ट का एक प्रारूप आपके उपयोग के लिए संलग्न है।

यह आपकी सूचना एवं सख्त अनुपालन के लिए है।

(डॉ राम मोहन एम के)
संयुक्त निदेशक (गु नि) & प्रशासन प्रभारी

परिचालन:

सभी फील्ड कार्यालय

प्रति :- प्र वि - ई-एमपीईडीए में आवश्यक प्रावधान बनाने के लिए।

समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण

(वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार)
एम पी ई डी ए भवन, पनंपिल्ली एवन्वू
डाक पेटी सं. 4272, कोच्ची-682036, भारत

The Marine Products Export Development Authority

(Ministry of Commerce & Industry, Govt. of India)
MPEDA House, Panampilly Avenue
P.B. No. 4272, Kochi-682 036, India



फोन } : 2311979, 2311901
Phone : 2311854, 2311803
2313415, 2314468
2315065

फैक्स } : 91-484-2313361
Fax

E-mail : ho@mpeda.gov.in
Website : www.mpeda.com

Ref: REG/GC/OR/1/2020

Date: 20.11.2020

C I R C U L A R



Sub: Inspection for registration / renewal of entities with MPEDA-reg.

It has been noted that when MPEDA officials alone are doing inspection for renewal of seafood processing units, they are not following the inspection report format prescribed for APE visit to record the observations and findings. Chairman has expressed concern about the effectiveness of the inspections to renew the registration of processing entities and has instructed that an elaborated format in the lines of report of APE visit format shall be filled in by the inspecting officers while recommending the renewal of registration of the inspected entity and the following instructions were strictly adhered to:

- (1) 10% of the units shall be subjected to an 'enabling or supervisory audit' by the officer-in-charge or next superior, as the case may be, in the event unit is inspected by a subordinate officer. The superior officer shall maintain surprise element while subjecting the unit to 'enabling or supervisory audit'.
- (2) Both major as well as minor non-conformities observed by the MPEDA officers during the inspection, including 'enabling or supervisory audit', shall be conveyed to the unit in writing prescribing a time frame to rectify the non-conformities. The registration / renewal / endorsement shall be subjected to compliance to the rectification of non conformities reported by the unit.
- (3) The inspection report, correspondence regarding NCs and compliance report from the unit shall be uploaded on the e-mpeda portal.

A format of inspection report in lines of APE report is enclosed for your use.

This is for your information and strict compliance.



Digitally signed by MOHANCOTTAGE
KESHAVKRUP RAMMOHAN
DN: c=IN, o=Personal, title=5764,
pseudonym=c1c3a8e483badf025f4f44
e13e6123166366df,
2.5.4.20=fe17113a89c426edae138ee862
1692d00bde35d4230afb78c6495699baa
a8664, postalCode=688005, st=Kerala,
serialNumber=f2608fe2169c6cebb3625
d0fb68b58806eb494c5712cd691148d07
c8f47356ea, cn=MOHANCOTTAGE
KESHAVKRUP RAMMOHAN
Date: 2020.11.20 18:16:40 +05'30'

(DR. RAM MOHAN.M.K.)
JOINT DIRECTOR (QC) & ADMIN I/C.

Circulation:

All Field Offices

Copy to:- SA for making necessary provision in the e-mpeda.